झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–01

चतुर्दश (विशेष) सत्र
सोमवार, दिनांकः–05 फरवरी, 2024 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 02:06 अप० तक।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रारंभिक वक्तव्य

आसन ग्रहण करने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय राज्यपाल महोदय से प्राप्त निम्न संदेश को पढ़कर सभी माननीय सदस्यों को सुनाया–

"भारत के संविधान के अनुच्छेद–176 के खण्ड–(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सी0पी0 राधाकृष्णन, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक–05 फरवरी, 2024 को 11:00 बजे पूर्वा0 में संबोधित करना चाहता हूँ और इस हेतु झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ।"

राँची

दिनांक–02 फरवरी, 2024

ह0/–
सी0पी0 राधाकृष्णन
झारखण्ड के राज्यपाल।

इसके उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि वे माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी के लिए सदन से कुछ क्षण के लिए बाहर जा रहे हैं और इस दौरान सदन में माननीय सदस्यों से शांति बनाये रखने हेतु आग्रह किया। साथ ही इस दौरान किसी माननीय सदस्य के सदन से बाहर न जाने और सदन के अंदर न आने का अनुरोध किया। कुछ समय पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय को साथ लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय सदन के अंदर प्रवेश किए।

(राष्ट्रीय धुन)

2. राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

सभा सचिव द्वारा राज्यपाल महोदय से अनुरोध किये जाने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन करते हुए जोहार कहा। तत्पश्चात् विस्तार पूर्वक सरकार की योजनाओं के बारे में सदन को बताते हुए कहा कि संसदीय लोकतंत्र में इस संस्था और इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चार साल पहले राज्य सरकार को लोगों के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने तथा प्रदेश में सर्वांगीण विकास करने का जनादेश मिला था। इस दौरान सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने की पूरी कोशिश की है। हमारी सरकार किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार पहल के माध्यम से हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों तक गई कि लाभ और सेवाएं राज्य के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। योजना के तीन चरण सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जा चुके हैं।

हमारी सरकार राज्य में नक्सलियों की गतिविधियों पर काबू पाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति सुधारने में सफल रही है और हम नक्सली समस्या को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2023 में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 400 से अधिक नक्सली गिरफ्तार किये गये हैं।

साईबर अपराधियों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने प्रतिबिम्ब प्रतिभा पोर्टल बनाया है जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। पिछले तीन महीनों में उक्त पोर्टल के उपयोग से 102 F.I.R. दर्ज किये गये हैं और अबतक 479 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

राज्य सरकार दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष संचालित कर रही है। पिछले एक वर्ष में 168 प्रवासी मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य में नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए विभिन्न श्रेणियों के 46,150 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है, जिसमें से 45,574 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। झारखण्ड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत 349 पदों पर सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

किसी भी विकास के लिए ऊर्जा एक पूर्व शर्त है। हमारी सरकार सुदूर क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से प्रति माह 19 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्तमान में झारखण्ड राज्य के लिए आच्छादित किये जाने वाले अधिकतम 2.64 करोड़ लाभार्थियों के विरूद्ध शत–प्रतिशत लाभार्थियों को शामिल किया गया है, जिन्हें जनवरी 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी राज्य सरकार द्वारा 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किये गये हैं। इसके अलावा KGBV, एकलब्व विद्यालयों और अन्य स्कूलों के माध्यम से झारखण्ड के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

मारंग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में स्थित चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों मे चयनित पाठ्यक्रमों में मास्टर/एम.फिल डिग्री जैसी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस छात्रवृत्ति योजना से अनुसूचित जनजाति के 10, अनुसूचित जाति के 05, पिछड़ी जाति के 07 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 03 सहित कुल 25 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में यह पहली बार था कि भारत को इसकी मेजबानी मिली और हमारे राज्य को 27.10.2023 से 05.11.2023 तक राँची में इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारतीय महिला टीम ने खिताब जीता और टीम में सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान जैसी झारखण्ड की हॉकी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने हमारे राज्य और देश को गौरवान्वित किया। जनवरी, 2024 में F.I.H. महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर, 2024 भी रांची में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रकाश डाला गया।

मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस सदन की गरिमा एवं पवित्रता बनाये रखेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं आप सभी के स्वस्थ और सफल जीवन की कामना करता हूँ और मुझे आपके बीच आने और झारखण्ड को देश

के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सरकार द्वारा की गई गतिविधियों और कार्यों को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

जय हिन्द! जय भारत!

तत्पश्चात् अभिभाषण की समाप्ति की सूचना सभा सचिव द्वारा दी गयी।

(राष्ट्रीय धुन)

माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को सम्मानपूर्वक विदा किया गया।

पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों की सूचना आज दिनांक–05.02. 2024 के 03:00 बजे अप० तक ही लिए जाने की घोषणा आसन द्वारा दी गई।

3. सभापति का मनोनयन

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–10(1) के अधीन नाम–निर्देशित सभापति तालिका के सदस्य के रूप में निम्नांकित माननीय सदस्यों को मनोनीत किया गया–

1. श्री स्टीफन मराण्डी स०वि०स०
2. श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स०वि०स०
3. श्रीमती सीता मुर्मू स०वि०स०
4. श्री रामचन्द्र सिंह स०वि०स०
5. श्री निरल पुरती स०वि०स०

आसन की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन के द्वारा झारखण्ड विधान की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम–139 के अधीन सरकार के विश्वासमत हेतु विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तदुपरान्त आसन द्वारा सभी दल के किसी एक सदस्य के लिए समय आवंटित करते हुए उन्हें इस प्रस्ताव के पक्ष–विपक्ष में बोलने का मौका दिया गया। इस चर्चा में निम्न माननीय सदस्यों ने भाग लिया–

1. श्री हेमन्त सोरेन
2. श्री अमर कुमार बाउरी
3. श्री आलमगीर आलम
4. श्री सुदेश कुमार महतो
5. श्री प्रदीप यादव
6. श्री विनोद कुमार सिंह
7. श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन

आसन की अनुमति से श्री आलमगीर आलम, संसदीय कार्यमंत्री ने मत विभाजन का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। मत विभाजन में विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में कुल 47 (सैंतालीस) माननीय सदस्यों ने समर्थन किया तथा 29 (उनतीस) माननीय सदस्यों ने विपक्ष में समर्थन किया।तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक–06.02. 2024 के 11:00 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राँची,
दिनांक–05 फरवरी, 2024

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।